

कार्यालय, जिला न्यायाधीश, खगड़िया।

विज्ञापन सं० ०१ / २०१६

माननीय उच्च न्यायालय पटना के पत्रांक 74096-74132 A.D.(Misc.) Section दिनांक 23.12.2015 एवं पत्रांक 3967-4003/A.D.(Misc.) Section IV-03-2015 दिनांक 19.01.2016 के निर्देशानुसार जिला व्यवहार न्यायालय, खगड़िया में कार्यालय परिचारी / आदेशपाल (Peon / Orderly) के चतुर्थवर्गीय पदों पर अस्थायी रूप से नियुक्ति हेतु कुल 23 (तेईस) पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र सादे कागज पर विहित प्रपत्र में आवेदक द्वारा अपने हस्तलिपि में भरा हुआ तथा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

1. निर्धारित वेतनमान :- 5200-20200/- ग्रेड पे रू० 1650 एवं अन्य अनुमान्य भत्ते।
2. शैक्षणिक एवं आवश्यक योग्यताएँ :- कार्यालय प्रचारी / आदेशपाल (Peon / Orderly) के पद पर अस्थायी नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को साक्षर होना चाहिए तथा साथ ही साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ने एवं लिखने की जानकारी होनी चाहिए तथा साईकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए एवं अभ्यर्थी को शरिरिक रूप से स्वस्थ तथा श्रमसाध्य (Strenuous) कार्य करने में भी सक्षम होना चाहिए।
3. पदों की संख्या :- 23 (तेईस)
 - (1.) अनुसूचित जाति 16% - 03 पद।
 - (2.) अनुसूचित जनजाति 01%- शुन्य पद।
 - (3.) अत्यन्त पिछड़ा वर्ग 18%- 04 पद।
 - (4.) पिछड़ा वर्ग 12% - 03 पद।
 - (5.) पिछड़ा वर्ग की महिला 03%- 01 पद।
कुल 50% कुल पद = 11 पद।
 - (6.) खुली गुणागुन कोटि से - 23-11 = 12 पद।
4. आरक्षण की सुविधा वैसे अभ्यर्थियों को दिया जायेगा जो बिहार राज्य के स्थायी निवासी हों और अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय बिहार राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र निश्चित रूप से दाखिल करेंगे।
5. यदि भविष्य में विज्ञापन के नियमावली में सुधार या परिवर्तन होगा तो व इस विज्ञापन का अंश होगा।
6. उम्र:- दिनांक 01.05.2016 को उम्मीदवारों का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम उम्र:-
 - (क) सामान्य वर्ग के लिए - 37 वर्ष
 - (ख) पिछड़ावर्ग / अत्यन्त पिछड़ावर्ग (पुरुष एवं महिला) - 40 वर्ष
 - (ग) अनारक्षित वर्ग की महिला - 40 वर्ष
 - (घ) अनुसूचित जाति / जनजाति (पुरुष एवं महिला) - 42 वर्ष
7. उपरोक्त चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति बिहार सिविल कोर्ट स्टाफ (वर्ग तृतीय एवं वर्ग चतुर्थ) नियम, 2009 तथा बिहार आरक्षण अधिनियम 1991 के तहत की जाएगी।

आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची:-

- (1) दो नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ - राजपत्रित पदाधिकारी या नोटरी पब्लिक से अभिप्रमाणित एक आवेदन पत्र (प्रपत्र -1) पर चिपकाकर तथा दूसरा प्रवेश पत्र (प्रपत्र-2) पर चिपकाकर भेजें।
- (2) जन्म तिथि के प्रमाण पत्र का स्वअभिप्रमाणित प्रति।
- (3) एक स्वपता लिखित लिफाफा जिस पर रजिस्ट्री डाक टिकट 25 रुपया का लगा हो।
- (4) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित उम्मीदवारों के लिए) तथा अन्य प्रमाण-पत्रों की छाया प्रति संलग्न करें।
- (5) आवेदक को जिला नियोजनालय में पंजीकृत होना आवश्यक है, इसकी छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें।
- (6) पहचान पत्र यथा मतदाता पहचान पत्र या आधार कार्ड या आईविंग लाईसेन्स या अन्य पहचान पत्र की छाया प्रति संलग्न करें।

साक्षात्कार के समय प्रस्तुत की जाने वाली दस्तावेजों की सूची

- (1) सभी शैक्षणिक योग्यताओं का मूल प्रमाण पत्र।
- (2) सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र (वैसे उम्मीदवार जो आरक्षण कोटि में आते हैं एवं आरक्षण का दवा करते हैं।)
- (3) नियोजनालय में पंजीकरण का मूल प्रमाण पत्र।
- (4) पहचान पत्र की मूल प्रति।
- (5) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को बिहार राज्य के स्थायी निवासी होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अस्थायी नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया - आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा। उन्हें किसी प्रकार का यात्रा - भत्ता देय नहीं होगा। आवेदन केवल रजिस्ट्री / स्पीडपोस्ट द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया को सम्बोधित कर इस तरह भेजा जाए कि वह दिनांक 31.05.2016 तक कार्यालय अवधि में प्राप्त हो सके। अधूरा / दोषपूर्ण एवं अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

हव- ए० के० शर्मा

(ए० के० शर्मा)

जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह-
अध्यक्ष, नियुक्ति समिति,
खगड़िया।

कार्यालय जिला न्यायाधीश, खगड़िया।

विज्ञापन संख्या 01/2016

(प्रपत्र-2)
(अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा)
प्रवेश - पत्र

1. आवेदित पद का नाम :-
2. आवेदक का नाम :-
3. आवेदक के पिता / पति का नाम:-
4. आवेदक का कोटि:-
5. स्थायी पता :-
6. पत्राचार का पता :-



आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर,

(केवल कार्यालय प्रयोग के लिए)

क्रमांक _____

साक्षात्कार का स्थान :- व्यवहार न्यायालय, खगड़िया
जिला न्यायाधीश, खगड़िया के प्रकोष्ठ में।

साक्षात्कार का समय एवं तिथि :-

जिला न्यायाधीश,
खगड़िया।